बईजलास – श्री धर्मराज गुर्जर, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 01 / 2021
दायर दिनांक :– 01.01.2021

अनवान

श्री मोहन लाल पिता ग्यारसा मीणा नि. कुराडिया तह0 जहाजपुर

वादी

बनाम

1. श्री नन्दलाल पिता जगदीश मीणा नि. कुराडिया तह0 जहाजपुर
2. श्री अध्यक्ष, ग्राम पंचायत कुराडिया पंचायत समिति जहाजपुर
3. तहसीनदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादी.गण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री छीतर लाल रेगर, वकील वादी

:: निर्णय ::

दिनांक 03.03.2021

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम कुराडिया पटवार हल्का कुराडिया तह0 जहाजपुर की आ0न0 537 रकबा 1.09 बीघा भूमि स्थित है। उक्त आराजियात पर प्रतिवादी सं. 2 द्वारा दादागिरी एवं शक्ति के बल पर राजनैतिक द्वेशता से वादी की कृषि जमीन के अन्दर अवैध तरीके से बिना सीमांकन कराये सडक निर्माण करना चाह रहे है। तथा रास्ता बनाने पर तुल्ले हुये हैं तथा वादी ने प्रतिवादी सं. 2 को कहा की वादी की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि जमीन की पत्थरगढी होने के बाद सडक निर्माण कार्य करावे परन्तु प्रतिवादी सं. 2 ने वादी की कृषि भुमि की सीमा के अन्दर जे सी बी मशीन से खुदाई कर रास्ता बनाने पर तुले हुये है। इसलिये जब तक वादी के खातेदारी कृषि भूमि की चतुर्थ सीमा चिन्ह ज्ञात न हो तब तक ग्राम पंचायत कुराडिया सडक का अवैध कार्य न करे इसलिये वादी वाद पत्र की चरण सं 1 में वर्णित कृषि भूमि की चतुर्थ सीमा चिन्ह धोषित करवा कर उक्त कृषि भुमि के चारो तरफ पुख्ता निशान बनाये जाने की घोषणात्मक डिकी जारी करवाना चाहता हैं इसलिये उक्त वर्णित आराजियात की चतुर्थ सीमा चिन्ह घोषित कर बिना पत्थरगढी के निर्माण कार्य नही करने की मांग की

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई प्रतिवादीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से उनके खिलाफ एक तरफा

उपखण्ड अधिकारी

कारवाही के आदेश पारित किया गया वादी ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 एवं विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है की ग्राम कुराडिया पटवार हल्का कुराडिया तह0 जहाजपुर की आ0न0 537 रकबा 1.09 बीघा की बसामलात के पत्थरगढी करने हेतु भू0 अभिलेख निरीक्षणक कुराडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कमिश्नर फीस 500 रूपये तह किये जाते है जो वादी मौके पर अदा करेगे उनमे से 50 रूपये राजकोष मे जमा करायेगे। तथा बिना पत्थरगढी के उक्त कृषि आरायाजित पर निर्माण कार्य नही किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धर्मराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)